(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में अवमुक्त की जा रही रूपये 56,33,00,000/- (रूपये छप्पन करोड़ तैंतीस लाख मात्र) की धनराशि का नगद आहरण न कर पुस्तक समायोजन के माध्यम से प्राप्ति पक्ष के लेखाशीर्ष- "0801-बिजली-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियां-01-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियाँ" में जमा किया जायेगा।"

(6) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों की शर्तो/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,33,00,000 (रुपये छप्पन करोड़ तैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900302 स्मार्ट मीटरिंग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपूजी (के0-15/रा0-85-के0+रा0) मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-102-X-2025-26-दिनांक:17-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2026/001-127(1)-24-1-2026-94-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।